

## डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

### उनवान

1. श्रीमती दुर्गा बाई पिता उदयलाल पत्नी श्री विनोद कुमार पालीवाल निवासी फतहनगर वार्ड संख्या 20 रेल्वे स्टेशन के पीछे नानेश कॉलोनी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीया

### **बनाम**

1. श्री अमरलाल पिता भेराजी भील निवासी भुमलावास तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री नाथू पिता भेराजी भील निवासी भुमलावास तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्री वागा पिता भेराजी भील निवासी भुमलावास तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती रतनी पत्नी भेराजी भील निवासी भुमलावास तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. श्रीमती जसवन्त बाई पिता उदयलाल पत्नी भगवतीलाल ब्राह्मण निवासी आंवल हेड़ा तहसील चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ।
6. अमरलाल पिता खेमराज पालीवाल मृतक के बजाय  
6/1 श्री भगवती प्रसाद पुत्र अमरलाल पालीवाल निवासी भुमलावास तहसील मावली जिला उदयपुर।  
6/2 श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री अमरलाल पालीवाल पत्नी मरमेश्वरनाथ पालीवाल कर्मशील मार्ग चांदपोल बाहर उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

### **वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं काउण्टर वाद**

मुकदमा न0 : 221/13 ( वाद )

जीसीएमएस नम्बर : 2013/00018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि :-

प्रतिवादी संख्या 6 का काउण्टर वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम भूमलावास पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली के आराजी नम्बर 500 रकबा 0.2833 हैक्टर भूमि में वादीया दुर्गाबाई पुत्री उदयलाल एवं प्रतिवादी संख्या 5 जसवन्तबाई पुत्री उदयलाल के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 6/1 भगवती प्रसाद पुत्र अमरलाल एवं प्रतिवादी संख्या 6/2 पुष्पा देवी पुत्री अमरलाल को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **11.06.2025** को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

सहायक कलक्टर (SDO)

मावली, जिला उदयपुर

